बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स:+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

हमारा बिहार

संचिका सं0 :– ICDS/40020/1-2011...2005 दिनांकः– 27/04/2013

प्रेषक,

बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

विषय :– ऑगनबाड़ी केन्द्रों का वार्ड आधारित परिसीमन के संबंध में।

महाशय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों का परिसीमन दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 से वार्डो से सहसीमान्त कर दिया गया है। इस क्रम में निदेशालय के पत्रांक 622 दिनांक 16.02.2012 द्वारा इस प्रक्रिया के अनुपालन हेतु, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकरी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिशा–निदेश जारी किये गये है।

उपरोक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन के दौरान कुछ ऑगनबाड़ी केन्द्रों तथा सेविका एवं सहायिकाओं की शिफ्टिग की जानी थी। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों से इस प्रक्रिया के अनुपालन में कठिनाइयों का प्रतिवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 06.04.2013 को सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रत्येक जिले से एक–एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. ऑगनबाड़ी केन्द्रों का वार्ड के आधार पर परिसीमन के फलस्वरूप दिनांक 12.03.2013 तक जहाँ शिफ्टिग कार्य तथा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर केन्द्र संचालित किया जा रहा है, उसे यथावत रहने दिया जाय, तथा दिनांक 12. 03.2013 के पश्चात किसी भी प्रकार का शिफ्टिग के कार्य पर तत्काल अगले आदेश तक रोक लगायी जाती है। दिनांक 12.03.2013 के पूर्व इस संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त हुआ हो तो एक प्रतिवेदन भेजा जाय ताकि विभाग में इसकी समीक्षा की जा सके। यदि महादलित टोले में पूर्व से स्थित केन्द्र को गैर महादलित टोले में 12.03.2013 के पूर्व भी शिफ्ट किया गया है तो उसे निरस्त किया जाय।

2. निदेशालय के पत्रांक 1208 दिनांक 12.03.2013 से सेविका एवं सहायिकाओं के चयन कार्य पर लगायी गयी रोक समाप्त की जाती है। वर्तमान में निम्न प्रकार के केन्द्रों पर ही चयन किया जाना है :–

(क) वैसे केन्द्र जहाँ चयन मुक्ति के कारण सेविका/सहायिका का पद रिक्त हो वहाँ पूर्व के परिसीमन के आधार पर ही चयन कार्य पूर्ण किया जाय।

(ख) पूर्व से स्वीकृत अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना नहीं हुई हो तो केन्द्र की स्थापना वैसे वार्ड में की जाएगी जहाँ पूर्व से कोई भी ऑगनबाड़ी केन्द्र नहीं हो एवं जनसंख्या 400 से 800 अथवा उससे अधिक हो।

(ग) पूर्व से स्वीकृत मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर 400 से कम जनसंख्या वाले वार्ड/महादलित/अनुसूचित जाति के टोले तथा ऐसी जगह स्थापना की जाय, जिसकी आबादी 150–400 के बीच हो एवं भौगोलिक दृष्टि से आने–जाने में कठिनाई हो ।

निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में रिक्त सेविका/सहायिकाओं का चयन मार्गदर्शिका के आधार पर दिनांक 15.05.2013 तक पूर्ण कर लिया जाय।

विश्वासभाजन
27/4/13
(बन्दना प्रेयषी)
निदेशक

ज्ञापांक :– ICDS/40020/1-2011.....2005 दिनांकः– 27/04/2013
प्रतिलिपि :–सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/4/13
निदेशक